संचिका संख्या : **BHRC/COMP 2551/18**

दिनांक : 17.11.2021

पुलिस उप महानिरीक्षक मानवाधिकार पटना के पत्र के साथ अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था का पत्र, वरीय पुलिस अधीक्षक पटना का पत्र के साथ सहायक पुलिस अधीक्षक का पत्र तथा थानाध्यक्ष का स्पष्ट्रीकरण, अन्य कागजातों के साथ उपलब्ध कराई गई है।

प्रस्तुत संचिका में आवेदक जो 14 वर्ष के बालक था के विरूद्ध मानवाधिकार हनन का मामला मानते हुए मुख्य सचिव बिहार सरकार से कारण पृच्छा की मागं की गई थी कि क्यों नहीं आवेदक को उनकी प्रतिष्ठा हनन के लिए 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के तौर पर दी जाए तथा साथ ही पुलिस महानिदेशक को पुलिस पदाधिकारी के कृत्यों के कारण कार्रवाई पर विचार करने हेतू भी आदेश की प्रति भेजी गई थी। पत्र की प्रति उपलब्ध कराई गयी तथा सम्बंधित पुलिस पदाधिकारी का स्पष्टीकरण भी उपलब्ध कराया गया है।

दोषी पदाधिकारीयों को सुनवाई का मौका देते हुए दिनांक 09.04.2021 का आदेश पारित किया गया है। अतः इस संचिका में पूर्व में लिए गए आदेश पर पुनः विचार विधि सम्मत नही है।

राज्य सरकार को आवेदन किशोर के विरूद्ध की गयी कार्रवाई को मानवाधिकार का उल्लंघन मानते हुए क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु कारण पृच्छा की मांग की गयी थी जो अप्राप्त है। अतः यह समझा जाता है कि राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना है। उपरोक्त स्थिति में राज्य सरकार को आवेदक किशोर को तीन माह के भीतर 25,000/—रूपये की क्षतिपूर्ति अनुदान देने की अनुशंसा के साथ यह आवेदन संचिकास्त किया जाता है।

Sd/-

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson